

शिविर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गावों के संग अभियान-2021
केम्प सिणली जागीर प.स. बालोतरा

पोलरसीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह मोना, आर.ए.एस. (उप महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त बाडमेर)
राजस्व आवेदन नं० SS- 30 /PGKS-2021

प्रार्थी : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पंचपदरा (भूमिधारक)

वनाम

विप्रार्थीगण :- 1. सरपंच ग्राम पंचायत सीणली जागीर

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपटित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। ग्राम सिणली चौसीरा में एक ग्रेवल सड़क/डामर सड़क / बारहमासी मार्ग पुरानी आबादी से एरिया तक ग्रेवल सड़क/डामर सड़क/बारहमासी रास्ता का सर्वधिना खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिषिष्ट अ में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपटित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत सिणली जागीर को सुना गया उनके द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रमांक ग्रापसा/2021/228 दिनांक 10.12.2021 का अवलोकन किया गया। सरपंच सिणली जागीर ने अनापत्ति प्रमाण पत्र में सिणली जागीर के राजस्व गाव सिणली चौसीरा के खसरा नम्बर 321/104, 319/103, 324/106, 317/102 व 295/99 में सिणली चौसीरा पुरानी आबादी से एरिया तक चल रहे आम रास्ता जो राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में तरमीन शुद्ध होकर दर्ज ह को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है तो ग्राम पंचायत सिणली जागीर को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं।



2
प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गावों के संग अभियान-2021

विप्राधी संरघच ग्राम पंचायत सिणली जागीर को सुना गया, हमने पत्रावली को अवलोकन किये पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात संरघच ग्राम पंचायत सिणली जागीर का अनापत्ति प्रमाण पत्र नक्शा एस एत जमाकन्दी संवत् 2074-77 खाला संख्या 01, खसरा संख्या 321/104, 324/106, 319/103, 317/102, 295/99, 296/199 एवं प्रस्तावित रास्ता सिणली जागीर पुरानी आबादी से एरीया तक (परिवर्तन खतोनी परिशिष्ट-अ) को अवलोकन किया, मुझे तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है।

अतः विवेचन के आधार पर तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम सिणली बांसीरा में एक ग्रैवल सड़क/डामर सड़क / बारहमासी मार्ग पुरानी आबादी से एरीया तक ग्रैवल सड़क/डामर सड़क/बारहमासी रास्ते को संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिशिष्ट-अ में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को विप्राधी संरघच ग्राम पंचायत सिणली जागीर अनुसार रास्ते के लिए जोड़ने हेतु स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम सिणली बांसीरा में एक ग्रैवल सड़क/डामर सड़क / बारहमासी मार्ग पुरानी आबादी से एरीया तक ग्रैवल सड़क/डामर सड़क/बारहमासी रास्ते को संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए नक्शे व मौके पर चल रहे परिशिष्ट-अ में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते हैं, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते 'स' हो दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट-ब आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

(सुरेन्द्र सिंह मीना, RAS)

शिदिर प्रभारी, अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(उप महानिरीक्षक, पंचायत एवं नुद्दाक वृत्त बाडमेर)



आदेश आज दिनांक 10.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केमप सिणली जागीर में मजमे आम में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह मीना, RAS)

शिदिर प्रभारी, अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(उप महानिरीक्षक, पंचायत एवं नुद्दाक वृत्त बाडमेर)

क्रमांक/प्र.गा.क.स/2021/488

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर।
2. उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा।
3. तहसीलदार पचपदरा।

10/12/2021

प्रभारी अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021